<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>01.01.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स डिजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक रवि जैन और प्रकाश चंद जैन द्वारा करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में, जिसमें अपराधियों ने भोले-भाले निवेशकों को बहुत अधिक रिटर्न का वादा करके अपनी धोखाधड़ी योजनाओं में निवेश करने के लिए लुभाया और प्रेरित किया गया, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 31.12.2025 को जयपुर और किशनगढ़ (अजमेर) में 7 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने प्रकाश चंद जैन, रवि जैन और अन्य के खिलाफ एसटीएफ भोपाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा, ओडिशा और महाराष्ट्र आदि के विभिन्न जिलों के विभिन्न पुलिस स्टेशनों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने आपस में मिलीभगत करके हजारों लोगों को अपने प्लेटफॉर्म/ऐप, जिसका नाम माई विक्ट्री क्लब (एमवीसी) है और जो कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार में शामिल था, में निवेश करने के लिए लुभाकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की। इसके अलावा, निवेशकों को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने निवेशकों के मोबाइल में एमवीसी (माई विक्ट्री क्लब) नामक एक मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल किया और निवेशकों की आईडी बनाई, जिसमें जमा/निवेश की गई सभी राशि के साथ-साथ दैनिक लाभ भी निवेशकों की आईडी से जुड़े निवेशकों को वस्तुतः प्रदर्शित किए गए, हालांकि निवेशकों को कोई वास्तविक निकासी या रिटर्न नहीं दिया गया।

जांच में पता चला कि भोले-भाले निवेशकों द्वारा निवेश की गई राशि मेसर्स डिजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों/निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और एजेंटों के निजी खातों में स्थानांतरित कर दी गई थी। अपराध से प्राप्त आगम का उपयोग आरोपी व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्ति प्राप्त करने में किया गया है। तलाशी के दौरान यह भी पता चला है कि अपराध के मुख्य अपराधियों में से एक, रवि जैन, दुबई में है और उसने अपराध से प्राप्त आगम को रियल एस्टेट और विभिन्न अन्य व्यावसायिक उद्यमों में निवेश के लिए दुबई भेजा है।

तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और 11.3 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई, साथ ही आरोपियों और संस्थाओं से संबंधित विभिन्न बैंक खातों में करोड़ों रुपये (अनुमानित) की विभिन्न अचल संपत्तियों और लगभग 38 लाख रुपये (अनुमानित) की राशि का खुलासा हुआ।

आगे, जांच जारी है।